न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-28/2017-2018
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

1. श्री सोने लाल महतो उर्फ सोनु, पिता-स्व0 इन्द्रदेव महतो
सा0-कुतुबपुर बंगरी, थाना-वैशाली, जिला-हाजिपुर वैशाली
2. श्री प्रभु महतो, पिता-शिवचन्द्र महतो
सा0-कुतुबपुर बंगरी, थाना-वैशाली, जिला-हाजिपुर वैशाली..........................विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 2009/हि0शा0, दिनांक 27.05.2017) के आलोक में जोकीहाट थाना कांड संख्या-57/17, दिनांक 19.02.2017 धारा-414/420/272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(ए)/38(आइ)/37(ए)(बी)(सी) बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त ट्रक निबंधन संख्या-DL1GC-6550, चेसीस संख्या-MC233HRCOCB064385, ईजन संख्या-E483CDCD563175 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जोकीहाट थाना कांड संख्या-57/17, दिनांक 19.02.2017 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त-1. श्री सोने लाल महतो उर्फ सोनु, पिता-स्व0 इन्द्रदेव महतो, सा0-कुतुबपुर बंगरी, थाना-वैशाली, जिला-हाजिपुर वैशाली एवं 2. श्री प्रभु महतो, पिता-शिवचन्द्र यादव, सा0-कुतुबपुर बंगरी, थाना-वैशाली, जिला-हाजिपुर वैशाली के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि दिनांक 19.02.2017 को संध्या 16.00 बजे हवलदार मोहन यादव, सिपाही 287 अमन कुमार सि0 478 राकेश कुमार तीनों सशस्त्र बल तथा चालक गृह रक्षक उमेश कुमार के साथ पुलिस जीप से संध्या गस्ति करते हुये स्टेट हाईवे 327E पर केसारा मद्य निषेध चेकिंग केन्द्र पर पहुँचे तो किशनगंज की तरफ से आने वाली (बंगाल से) गाड़ियों का करीब 18.00 बजे चेकिंग किया जाने लगा। चेकिंग के दौरान एक ट्रक संख्या-DL1GC-6550, को रोका गया। पुलिस अवर निरीक्षक, जोकीहाट थाना के साथ केसारा मद्य निषेध केन्द्र पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक 4000855, विशनदेव यादव, 4000437 फुदनलाल मंडल के द्वारा तलाशी ली गई। गाड़ी के कैबिन का जमा तलाशी लिया गया तो विपक्षी के पास से तीन-तीन बोतल फूल, आर0एस0 शराब बरामद किया गया। पूछताछ के कम में विपक्षियो ने अपना नाम 1. सोने लाल महतों उर्फ सोनु, पे0-स्व0 इन्द्रदेव महतो एवं खलासी ने अपना नाम 2. प्रभु महतो, पे0-शिवचन्द्र महतों, दोनों सा0-कुतुबखंगरी, थाना-वैशाली, जिला-हाजीपुर वैशाली बताया तथा ट्रक के मालिक के नाम पता पूछने पर मालिक का नाम अर्जुन कुमार यादव, पे0-राम	

अधिहरण वाद संख्या–28/2017–2018

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	बाबू यादव, सा0–रोसी थाना बोचहा, जिला–मुजफ्फरपुर बताया। बरामद शराब के संबंध में विपक्षी से आवश्यक कागजात की मांग की गई लेकिन विपक्षी के द्वारा न तो कोई कागजात प्रस्तुत किया गया और न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। विपक्षी से गाड़ी का कागजात मांगने पर छाया प्रति दी गई, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या–DL1GC-6550, चेसिस संख्या–MC2F8HRCOFJ107573 एवं ईंजन संख्या–E413CDFJO47782 है। भौतिक सत्यापन में मिलान करने पर ईंजन संख्या–E483CDCD563175 एवं चेसिस संख्या–MC2F8HRCOFJ107573 में अंतर पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि गाड़ी चोरी की है। बरामद शराब Royal Stag को विधिवत् जब्त किया। विपक्षी को शराब पीने के संदेह पर चिकित्सीय जाँच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि की गई। दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जप्ती सूची बनाकर बरामद शराब एवं ट्रक को विधिवत् जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिकय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध जोकीहाट थाना कांड संख्या–57/17, दिनांक 19.02.2017, धारा–414/420/272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(ए)/38(आई)/37(ए)(बी)(सी) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया तथा विपक्षी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त ट्रक से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त ट्रक राजसात होने योग्य है। जब्त ट्रक को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त ट्रक निबंधन संख्या–DL1FC-6550 का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त ट्रक निबंधन संख्या–DL1FC-6550 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार जोकीहाट थाना कांड संख्या–57/17, दिनांक 19.02.2017 में जब्त ट्रक निबंधन संख्या–DL1GC-6550, चेसीस संख्या–MC233HRCOCB064385, ईजन संख्या–E483CDCD563175 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत राजसात किया जाता है। उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1015/विधि, अररिया, दिनांक 31/5/2019 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया 25.5.2019	